

संख्या: 23,877 / सात लाई०-एस०-141 / खण्ड-2 / 2021-22

प्रेषक,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक: फरवरी 17, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु देशी मदिरा/विदेशी मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु जिला स्तरीय आवंटन समिति विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि The Uttarakhand Excise (Settlement of Licence For Retail Sale Of Country Liquor/Foreign Liquor & Beer, Rules 2001) के कमश: नियम-10 व 9 में मदिरा की दुकानों के आवंटन हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन की व्यवस्था दी गयी है। जिसमें उल्लिखित है कि :-

District level committee for licensing

There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of Foreign Liquor & Beer/Country Liquor. The committee shall consist of the following member, namely :-

1- The Collector of the District

Chairman

2- One Gazetted Officer nominated by the Excise Commissioner

Member

3- The District Excise Officer Officer of the District

Member/Secretary

उक्त समिति के गठन हेतु जिला आबकारी अधिकारी एवं एक अन्य वरिष्ठ राजपत्रित अधिकारी, जो जनपद में नियुक्त किसी डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न अधिकारी के नाम का प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित आयुक्तालय को आप द्वारा प्रेषित किया जाना है। जिससे नियमानुसार द्वितीय सदस्य को नामित किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि समिति के गठन हेतु नामित सदस्य का विवरण अपनी संस्तुति सहित आयुक्तालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(अनुराधा माल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या 23,878 / सात लाई०-एस०-141 / खण्ड-2 / 2021-22 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:-समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय से सम्पर्क कर अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा माल)
आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।